

शीर्षक

मोहिनुदीन आत्मज अहमद पिनारा (मुसलमान) निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

-प्रार्थी

बनाम

1. किशन आत्मज उदा गुर्जर (कटारिया)
2. लादु आत्मज उदा गुर्जर (कटारिया)
3. कैलाश आत्मज उदा गुर्जर (कटारिया)
4. नारायण आत्मज चुना भांभड
5. कन्हैयालाल उर्फ काना आत्मज बंशी सेन
सर्व निवासी गंगापुर, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. शंकर आत्मज डालु जाट निवासी सुण्डा का खेड़ा तहसीलदार सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

-विपक्षीगण

उपस्थिति- अधिवक्ता प्रार्थीया:-श्री फतह लाल लौहार

विपक्षीगण:-1 से 6 अनुपस्थित

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 22.03.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम मेलुणीखेड़ा पटवार हल्का मेरुणीखेड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1294 रकबा 0.10 हे0, 1295 रकबा 0.30 हे0, 1296 रकबा 0.28 हे0, 1297/2859 रकबा 0.01 हे0, 1414 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.80 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 483 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिनकी जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगातय 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मेलुणीखेड़ा पटवार हल्का मेरुणीखेड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1294 रकबा 0.10 हे0, 1295 रकबा 0.30 हे0, 1296 रकबा 0.28 हे0, 1297/2859 रकबा 0.01 हे0, 1414 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.80 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 483 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढ़ी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढ़ी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा गु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)